Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : दलीपकुमार वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा : **प्रार्थना–पत्र** अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट सं. **18** सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2019	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। अभिभाषक पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण दलीपकुमार पुत्र मनीराम व बिमलादेवी पत्नी मनीराम ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 13/1764 में मुताबिक इन्तकाल सं. 334/03.12.2011 विभाजन द्वारा अंकित कुल 0.806 है0 नहरी–अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 दलीपकुमार का नाम दलीपसिंह व प्रार्थीया सं. 2 बिमलादेवी का नाम विमलादेवी अंकित हो गया है, जबकि प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थीगण का सही नाम दलीपकुमार व बिमलादेवी ही अंकित है। पटवारी हल्का संघर द्वारा उक्त नामों की बाबत दस्तावेजों की जांच कर दिनांक 21.01.2019 को रिपोर्ट पेश की गई है। प्रार्थीगण ने चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 13/1764 में मुताबिक इन्तकाल सं. 334/03.12.2011 विभाजन द्वारा अंकित कुल 0.806 है0 नहरी–अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 का नाम 'दलीपसिंह' के स्थान पर 'दलीपकुमार' व प्रार्थीया सं. 2 का नाम 'विमलादेवी' के स्थान पर 'बिमलादेवी' अंकित कर दुरूस्त करने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को तलब किया गया। बार–बार अवसर दिये जाने पर भी अप्रार्थी की ओर जवाब नहीं दिये जाने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किये गये। साक्ष्य लिये गये। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी सं. 1 ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। पक्षकारान को सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 चक 15 एस.टी.बी. खाता सं. 13/1764, सरपंच ग्राम पंचायत संघर द्वारा जारीशुदा वारिस प्रमाण–पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत पालीवाला 17 एस.टी.बी. के प्रमाण–पत्र, नामान्तरकरण सं. 334 चक 15 एस.टी.बी., रिपोर्ट पटवारी हल्का संघर, आधार कार्ड, पहचान–पत्र व परिवार राशनकार्ड की चित्रप्रतियों का अवलोकन करवाया एवं साक्ष्यों तथा रिपोर्ट पटवारी से प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को पुष्ट होना बताते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज द्वारा राज्य हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया। पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय साक्ष्य गहनता से अवलोकन व पठन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र आदि में प्रार्थी सं. 1 का नाम दलीप कुमार व प्रार्थीया सं. 2 का नाम बिमलादेवी अंकित है, एवं सरपंच ग्राम पंचायत पालीवाला 17 एस.टी.बी. व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थीगण का सही नाम दलीप कुमार व विमलादेवी है, जबकि चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 13/1764 में मुताबिक इन्तकाल सं. 334/03.12.2011 विभाजन द्वारा अंकित कुल 0.806 है0 नहरी–अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम दलीपसिंह व विमलादेवी अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों के समर्थन व साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा दुरूस्ती से एतराज नहीं किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व साक्ष्य, प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण दलीप कुमार पुत्र मनीराम व बिमलादेवी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 13/1764 में मुताबिक इन्तकाल सं. 334/03.12.2011 विभाजन द्वारा अंकित पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 3/0.240 है0, 4/0.039 है0, 9/0.013 है0, 10/0.013 है0, 11/0.240 है0, 21/0.007 है0, 22/0.107 है0, 23/0.147 है0, कुल 0.806 है0 नहरी–अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में काश्तकार प्रार्थी सं. 1 का नाम दलीपसिंह पुत्र मनीराम के स्थान पर दलीपसिंह उर्फ दलीपकुमार पुत्र मनीराम व प्रार्थीया सं. 2 का नाम विमलादेवी पत्नी मनीराम के स्थान पर विमलादेवी उर्फ बिमलादेवी दुरूस्त किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेंगे। इसी प्रकार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम पत्र लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.03 10:40:54 IST
Reason: SelfAttested